

No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/2018/11-CM/Unst. 262 - 1211
DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE DIRECTOR (ADMN. & PERSONNEL)
VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI – 110 005

Dated 7 .08.2018

To

Shri Mahendra Gupta
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Unstarred Question No. 262 due for 10.08.2018
asked by Shri Ajay Dutt, MLA.**

Sir,

Kind attention is invited towards letter no. F. 11(B-I)VI/2015-20/VSS/Ques. Branch/ 4995 dated 30.07.2018 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with due approval of the Hon'ble Minister of Water, Govt. of NCT of Delhi.

Encl: As above.


(Paras Ram)

Director (Admn.& Personnel)

Tel. No. 23544794(O)/Fax no. 23621738

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड
Delhi Jal Board

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

वरुणालय फेज - 2, करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 262

दिनांक :- 10.08.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री अजय दत्त, विधायक

क्या जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	अम्बेडकर नगर विधानसभा के खानपुर-वार्ड नं. 815 में पानी की सप्लाई रोजाना से हटा कर अल्टरनेट डेज पर कब से की गई व क्यों की गई;	यह क्षेत्र ई.एस.आई जलाशय एवं पंपिंग स्टेशन के अन्तर्गत आता है जहां से उपलब्ध पानी को सुचारू रूप से वितरण हेतु , माह जनवरी 2018 से पानी की सप्लाई एक दिन के अंतराल पर की जा रही है । पहले ई.एस.आई बूस्टर पम्प हाउस से 1200 मि.मी. व्यास की लाइन से संगम विहार, देवली एवं अम्बेडकर नगर विधानसभा के क्षेत्रों में एक साथ सप्लाई की जाती थी, जिससे इन क्षेत्रों में पानी की बहुत समस्या थी। इसे दूर करने के लिए इन क्षेत्रों को दो भागों में बांटकर अल्टरनेट दिनों में सप्लाई की जा रही है ।
(ख)	क्या यह सत्य है कि खानपुर वार्ड सं.-815 की कालोनियों में(राजूपार्क,जवाहर पार्क,बिहारी पार्क, कृष्णापार्क व शिवपार्क की) टेलएन्ड पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है;	पानी का दबाव कम होने के कारण अतिम छोर पर मौजूद कुछ मकानों में पानी की समस्या हैं जिसको टैंकरों द्वारा मांगानुसार आपूर्ति की जा रही है ।
(ग)	इस क्षेत्र में कब से दुबारा पानी प्रतिदिन दिया जाएगा;	इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है । ई.एस. आई. जलाशय में पानी की उपलब्धता बढ़ने पर ही इस पर निर्णय लिया जायेगा ।
(घ)	क्या यह सत्य है कि ईएसआई में लगभग 1.5 एमजीडी पानी बढ़ा है; और	जी, नहीं ।
(ड)	यदि हाँ तो कितना व किस-किस विधानसभा क्षेत्र में पानी बढ़ाया जा रहा है?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं है

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड
Delhi Jal Board